आरबीई सं. 95/2020

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

ई(डब्ल्यू)2020/पीएस5-1/3 **नई दिल्ली, दिनांक 05.11.2020**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

प्रधान वित्त सलाहकार
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

विषय: रेल कर्मचारियों के लिए ब्लॉक 2018-2021 के दौरान अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत किराए के बदले समतुल्य विशेष नकद पैकेज।

वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के दिनांक 12.10.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं.12(2)/2020-ईII(ए) के तहत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ब्लॉक 2018-2021 के दौरान **"छुट्टी यात्रा रियायत किराया"** के बदले इसके समतुल्य विशेष नकद पैकेज (एससीपी) अधिसूचित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 महामारी और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन तथा परिवहन एवं आतिथ्य क्षेत्र में व्यवधान होने के कारण केन्द्र सरकार के कर्मचारी भारत में किसी स्थान पर या अपने गृह नगर की यात्रा के लिए वर्तमान ब्लॉक 2018-2021 में एलटीसी लेने की स्थिति में नहीं हैं। इसमे यह भी उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय कर्मचारियों द्वारा उपभोग की क्षतिपूर्ति एवं उसको प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए फलस्वरुप व्यय के उपभोग को बढावा देने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी ब्लॉक 2018-2021 में एक एलटीसी के बदले विशेष नकद पैकेज का विकल्प देता है तो उसे एलटीसी के समतुल्य नकद राशि, जिसमें छुट्टी नकदीकरण एवं पात्र एलटीसी का किराया शामिल है, की प्रतिपूर्ति कतिपय शर्तों के अध्यधीन की जाए। वित्त मंत्रालय नें दिनांक 20.10.2020 और 04.11.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं.12(2)/2020-ईII(ए) के तहत क्रमश: एलटीसी नकद वाउचर योजना से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची और इससे संबंधित स्पष्टीकरण भी जारी किए गए हैं।

2. चूँकि रेल कर्मचारी भी इसी प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे हैं, अत: सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त विशेष नकद पैकेज (अर्थात् डीम्ड एआईएलटीसी किराए और छुट्टी नकदीकरण के समतुल्य नकद राशि) को वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित समान निबंधन एवं शर्तों पर देने का विनिश्चय किया गया है। वित्त मंत्रालय के दिनांक 12.10.2020 के कार्यालय ज्ञापन में अनुबंधित महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं:-

(क) कर्मचारी ने वास्तविक पात्र एलटीसी से अधिक राशि खर्च की है।

(ख) संपूर्ण छुट्टी नकदीकरण के समतुल्य राशि की अनुमति होगी, बशर्ते कर्मचारी ने इसके समतुल्य राशि खर्च की है। इसकी गणना किसी कर्मचारी के पास उपलब्ध एलटीसी पर छुट्टी नकदीकरण की संख्या के तहत की जाएगी।

(ग) इस प्रयोजनार्थ डीम्ड एलटीसी किराया नीचे दिया गया है:-

कर्मचारी की कोटि	प्रति व्यक्ति डीम्ड एलटीसी किराया (दोनों तरफ का)
जो कर्मचारी बिजनेस श्रेणी के हवाई किराए के लिए पात्र हैं	₹ 36,000
जो कर्मचारी इकोनॉमी श्रेणी के हवाई किराए के लिए पात्र हैं	₹ 20,000
जो कर्मचारी किसी भी श्रेणी के रेल किराए के लिए पात्र हैं	₹ 6,000

(घ) यदि कर्मचारी ऊपर दिए गए किराए के मूल्य की **3 गुना** राशि खर्च करता है तो उसके समतुल्य नकद राशि की अनुमति दी जाएगी।

..2..

(ङ) छुट्टी नकदीकरण और किराये दोनों पर खर्च की गई राशि प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी यदि कर्मचारी (i) छुट्टी नकदीकरण के मूल्य के समतुल्य राशि; और (ii) ऊपर दिये गए डीम्ड किराये के समतुल्य राशि का तीन गुना जीएसटी पंजीकृत वेंडरों/सेवा प्रदाताओं से डिजिटल विधि द्वारा ऐसी मदों की खरीद/ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने में खर्च करता है जिन पर जीएसटी दर कम से कम 12% हो और वाउचर प्राप्त करता है जिसमें जीएसटी संख्या एवं भुगतान की गई जीएसटी राशि दिए गये हो।

(च) स्वीकार्य भुगतान इस पैकेज का संपूर्ण मूल्य (मानित किराए के लिए यथा स्वीकार्य छुट्टी नकदीकरण और डीम्ड किराया) या वित्त मंत्रालय के दिनांक 12.10.2020 के कार्यालय ज्ञापन के अनुलग्नक-क पर दिए गए उदाहरण के अनुसार खर्च करने तक सीमित होगा।

3. यदि कर्मचारी विशेष नकद पैकेज का लाभ लेने का विकल्प चुनता है तो रेल सेवकों के ऊपर लागू मौजूदा छुट्टी नकदीकरण अनुदेशों में छूट भी है एवं ये अनुदेश वित्त मंत्रालय के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापनों में अंतर्विष्ट अनुदेशों की तर्ज पर संशोधित हैं।

4. विशेष नकदी पैकेज (एससीपी) उन सभी लोगों को अनुमेय है जो बोर्ड के दिनांक 10.09.2018 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2017/पीएस5-1/3 के अनुसार एआईएलटीसी सुविधा के लिए पात्र हैं और विशेष नकद पैकेज का लाभ उठाने के लिए पीपीएससी प्रमाण पत्र अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। वैकल्पिक एआईएलटीसी योजना के अंतर्गत गृह नगर एलटीसी स्वीकार्य नहीं है अत: गृह नगर एलटीसी के समतुल्य विशेष नकद पैकेज अनुमेय नहीं है।

5. उक्त पैरा 1 में संदर्भित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापनों की प्रतिलिपियां अनुलग्नक-I, II एवं III के रूप में संलग्न हैं। कृपया यह नोट किया जाए कि यदि विशेष नकद पैकेज के संदर्भ में कोई भी अनुदेश/स्पष्टीकरण वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी आधिकारिक वेबसाइट (अर्थात् https://doe.gov.in) पर जारी किए जाते हैं/अपलोड किए जाते हैं, तो वे यथोचित परिवर्तनों के साथ रेल सेवकों पर भी तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और उन्हें रेल मंत्रालय द्वारा परिपत्रित नहीं किया जाएगा।

6. विशेष नकद पैकेज से संबंधित वित्तीय पहलुओं को सभी स्तरों पर सह वित्त द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। बहरहाल, यदि बोर्ड स्तर पर कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित हो तो संबंधित रेलवे/उत्पादन इकाई के प्रधान वित्त सलाहकार के अनुमोदन से वित्त स्थापना निदेशालय को पत्र भेजा जाए, जो बोर्ड कार्यालय में नोडल निदेशालय के रूप में इसकी जांच करेगा और यथोचित स्पष्टीकरण जारी करेगा।

7. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय के परामर्श और सहमति से जारी किया जा रहा है।

(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त.

ई(डब्ल्यू)2020/पीएस5-1/3 नई दिल्ली, दिनांक 05.11.2020

प्रतिलिपि प्रेषित:-
भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे

प्रतिलिपि अग्रेषितः-

(i) कम्प्यूटर सेल/सी एण्ड आई एस, रेलवे बोर्ड को सभी संबंधित के सूचनार्थ रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

(ii) मानक सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा सं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली.
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा सं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली.
3. विभागीय परिषद तथा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद,13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली.
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा सं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली.
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली.
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली.
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन.
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा सं. 439, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन.
11. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन.
12. महासचिव, अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन, कमरा सं.-256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
13. महासचिव, अखिल भारतीय अजा/अजजा रेलवे इंप्लाइज एसोसिएशन, कमरा सं.7, रेल भवन, नई दिल्ली.
14. महासचिव, अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेलवे इंप्लाइज फेडरेशन, कमरा सं. 48, रेल भवन, नई दिल्ली.

नवीन कुमार

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड